103

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/3524 – विरुद्ध आदेश दिनांक 28–8–2017 – पारित द्धारा – अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर – प्रकरण क्रमांक 48/2015–16 अपील

1– महेन्द्र सिंह 2– राजेश सिंह
3– गॅगू सिंह 4– अदीप सिंह
5– राजूसिंह 6– जसबंत सिंह
सभी पुत्रगण स्व. अमर सिंह
7– श्रीमती मिश्रीवाई पत्नि स्व.अमर सिंह
सभी निवासी ग्राम हथलेवा तहसील बुदनी ---आवेदकगण

विरुद्ध

बिजयसिंह पुत्र भूरेसिंह राजपूत निवासी
बार्ड–6 बुदनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अरसद अली)

आ दे श
(आज दिनांक 08 – 08 –2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 48/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–17 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला रुकमणिवाई के नाम ग्राम हथलेवा की कुल भूमि 6–072 हैक्टर की भूमिस्वामी थी जिनकी बेओलाद

मृत्यु होने पर आवेदक ने पॅजीकृत बसीयत के आधार पर तहसीलदार टप्पा शाहगंज जिला सीहोर को नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार उप तहसील शाहगंज तहसील बुदनी ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण क्रमांक 4 अ-6/13-14 में आदेश दिनांक 23-8-2016 पारित किया तथा बसीयत के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के समक्ष अपील क्र. 48/15-16 प्रस्तुत की गई। अपील प्रचलन के दौरान व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 10 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई कि अपर आयुक्त के न्यायालय में इसी भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण क्रमांक री-2/29 ए/14-15 प्रचलित है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के अपील प्रकरण की कार्यवाही रोक दी जावे। इस आपत्ति आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी बुदनी ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-8-17 पारित किया तथा निर्णीत किया कि अपर अयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण की वादवस्त अलग-अलग है इसलिये धारा 10 C P C आकृष्ट नहीं होती है एंव प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में लेखी बहस प्रस्तुत हुई है। लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के आदेश दिनांक 28-8-17 से

लिये निर्णय की समीक्षा करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, भोपाल के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक रीडर-2/29 ए/14-15 अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के प्रकरण क्रमांक 19 अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 6-4-14 के विरूद्ध प्रचलित है और इस प्रकरण में महिला रूकमणि वाई पत्नि मोहनलाल के हित में हुये तहसील न्यायालय से हुये आदेश को यथावत् रखा गया है जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में अपील विचाराधीन है जबकि तहसीलदार उप तहसील शाहगंज तहसील बुदनी के प्रकरण क्रमांक 4 अ-6/13-14 में आदेश दिनांक 23-8-2016 से अनावेदक के पक्ष में हुये पॅजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील हुई है इस प्रकार अपर आयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष विचाराधीन अपील एंव अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के प्रकरण क्रमांक 48/2015-16 अपील के तथ्यों में भिन्नता होने से अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-17 से प्रकरण की कार्यवाही न रोकते हुये प्रकरण में आगे सुनवाई के लिये नियत किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-17 में विसंगति नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर